तारां - 826 (परिशिष्ट - अ) [12/7/2023]

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग
प्रश्न सं. [क्र. 826]
मंत्रालय

क्रमांक एफ 6-142/2006/सात-नजूल
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/02/2007

कलेक्टर,
जिला- भोपाल (म०प्र०)

विषय:- नगर निगम भोपाल को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु ग्राम आदमपुर छावनी भोपाल में भूमि आवंटन।

—

राज्य शासन एतद् द्वारा राजधानी परियोजना क्षेत्र की शासकीय नजूल भूमि ग्राम आदमपुर छावनी के खसरा क्रमांक 195/1/14 रकबा 25.487 हेक्टेयर में से 44.98 एकड़ भूमि ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु आयुक्त, नगर निगम भोपाल को सामान्य शर्तों के साथ -साथ निम्न विशेष शर्तों पर हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(1) भूमि उपयोग अन्य उपयोग के लिए नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पेनल्टी आदि के साथ लिया जायेगा ।

(2) यदि कभी भी उक्त भूमि उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है, तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और आवंटिती को उसका मुआवजा देय नहीं होगा ।

(3) भूमि के किसी भी उपयोग या इस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित स्थानीय संस्थाओं नगर तथा ग्रामीण निवेश आदि से आवंटिती को लेनी होगी तथा मास्टर प्लान व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी प्रावधानों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा ।

(4) शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

2/- आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 3-28/2006/बत्तीस दिनांक 02.05.2006 में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निगम का होगा ।

2/-

sd/- 2-3-07

3/- मध्यप्रदेश प्रदूषण मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक 1080/क्षे.का./प्रनिबो/06 दिनांक 18.4.06 में निर्धारित शर्तों का पालन करने का उत्तरदायित्व निगम का होगा।

4/- अर्जुन नगर की झुग्गी बस्ती के विस्थापन की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जावेगी ।

5/- शासकीय शाला के संबंध में कलेक्टर के निर्देशों का पालन निगम द्वारा किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(signature)

(एस०के०सक्सेना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ०क्र० एफ 6-142/2006/सात-नजूल भोपाल दिनांक 27 /02/2007

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
5. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
6. प्रमुख सचिव, राजस्व के स्टाफ आफीसर
7. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

8. गार्ड फाईल हेतु ।

(signature)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

मा.-826 (परिशिष्ट-ब)

ग्राम पचायत आदमपुर छावनी

कमांक

दिनॉक 15/02/2005

प्रति,

अपर तहसीलदार,
वृत्त–2 तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म0प्र0

विषय न्यायालय में प्रचलित भूमि आवंटन के प्रकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ आपका पत्र क रीडर/2005 दिनॉक 02/02/2005 के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम आदमपुर छावनी पटवरी हल्का नम्बर 21, तहसील हुजूर जिला भोपाल की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 195/1/14 रकवा25.487हेक्ट. है । भूमि में स 40 एकड भूमि कार्यालय नगर निगम स्वास्थ्य विभाग को कचरा आदि के उपयोग हेतु प्रकरण इस पंचायत में आया । परन्तु हमारी पंचायत को निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त जमीन पर आपत्तियॉ है जो निम्नानुसार है :–

01 यहॉ जमीन शासकीय स्कूल हरीपुरा, से लगी हुई है ।
02 यहॉ पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पडेगा ।
03 यहॉ पर रह रहे परिवार के लोगो का काम मजदूरी है ।

अगर यहॉ पर कचरा डालने कि व्यवस्था की गई तो ये लोगा गॉव छोडने को तैयार है ऐसी अवस्था में हमारी पंचायत यह जमीन न्यायालय द्वारा मॉगी गई जमीन देने में असमर्थ है ।

अत: श्रीमान जी से निवेदन हे कि कचारा डालने की व्यवस्था अन्रू किसी जगह पर की जाए ।

समस्त ग्राम वासी
ग्राम पंचायत आदमपुर छावनी
जिला भोपाल म0प्र0

सरपंच
ग्राम पंचायत
आदमपुर छावनी (म0प्र0)